निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 519) पटना, मंगलवार, 18 जून 2024

सं० 08/आरोप–01–325/2014 सा0प्र0—6525
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
26 अप्रील 2024

श्री शेखर चन्द्र वर्मा, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक 233/11 तत्कालीन संयुक्त सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत) के विरूद्ध कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति (विज्ञापन सख्या–1906/2006) में बरती गई अनियमितता से संबंधित प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र–'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11728 दिनांक 12.08.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। कालान्तर में श्री वर्मा के दिनांक 31.01.2017 को वार्धक्य सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक 2454 दिनांक 01.03.2017 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली–43बी0 के तहत् सम्परिवर्तित किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी (विभागीय जाँच आयुक्त) के पत्रांक 161 दिनांक 29.03.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत आरोप के बिन्दु 1,2,3,5 एवं 6 पर जाँच पदाधिकारी द्वारा दिये गये मंतव्य/प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त की गई। तदुपरांत असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक 10661 दिनांक 29.08.2016 द्वारा श्री वर्मा से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के प्रावधानों के तहत् लिखित अभिकथन की मांग की गई। श्री वर्मा से प्राप्त लिखित अभिकथन के क्रम में असहमति के बिन्दुओं पर मुख्य सचिव द्वारा मामले की समीक्षा की गई। जिसमें उल्लेख किया गया कि ''अनियमितताओं के लिए अगर विभाग आरोपित पदाधिकारी को जिम्मेदार नहीं मानता है तो यह स्पष्ट किया जाय की आयोग में किन पदाधिकारियों को परीक्षा संचालन, मूल्यांकन एवं परीक्षाफल प्रकाशन के लिए क्या–क्या उत्तरदायित्व सौंपा गया था जिसका उन्होंने निर्वहन नहीं किया ताकि अनियमितता के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके।''

3. उक्त पृच्छा के क्रम में विभागीय पत्रांक 16141 दिनांक 02.12.2016 द्वारा सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना से परीक्षा में हुई त्रृटि एवं परीक्षाफल प्रकाशित करने में हुई अनियमितता के बिन्दु पर सुस्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसके अनुपालन में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक 1985 दिनांक 19.07.2017 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। आरोप, प्रपत्र–'क' जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष, असहमति के बिन्दु पर श्री वर्मा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरांत पाया गया कि मूल्यांकन में गड़बड़ी भेन्डर के स्तर पर की गयी, लेकिन जिन पदाधिकारियों की टीम इसके पर्यवेक्षण के लिए बनाई गई थी, वे भी इसके लिए जिम्मेवार है। पर्यवेक्षण हेतु गठित उक्त

टीम में श्री वर्मा भी शामिल थे। इससे स्पष्ट है कि श्री वर्मा द्वारा सही ढ़ग से पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिससे मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई। इस प्रकार श्री वर्मा के विरूद्ध सही ढ़ग से पर्यवेक्षण कार्य नहीं करने एवं अपने कर्त्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

तदनुसार श्री वर्मा का अभ्यावेदन (लिखित अभिकथन) अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ''पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) कटौती पाँच वर्षो तक'' संबंधी दण्ड विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक 12484 दिनांक 26.09.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/मंतव्य की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–5/प्रो0–01–05/2017(2480)/लो0से0आ0 दिनांक 10.01.2018 द्वारा उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर अपनी सहमति संसूचित की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1672 दिनांक 02.02.2018 द्वारा श्री वर्मा को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी0) के संगत प्रावधानों के तहत **''पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) कटौती पाँच वर्षो तक''** करने का दंड अधिरोपित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०–5370/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 23.01.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

" As such, the present writ application is disposed of directing the petitioner to avail remedy of appeal/review before the Competent Authority.

Delay if any in filing the appeal/review is hereby condoned.

The Appellate/Review Authority is directed to pass final order within 6 months from the date of filing the same."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में श्री वर्मा द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक 03.03.2024 एवं पूरक अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं पाया गया कि उनके द्वारा अपने अपील/पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहा गया कि उत्तर पुस्तिकाओं की कोडिंग या डिकोडिंग पूरी तरह से कम्प्यूटर के आधार पर होती है और इसमें किसी भी स्तर पर किसी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

श्री वर्मा को दंड का आधार यह था उनके द्वारा मानवीय स्तर से जैसा पर्यवेक्षणीय जाँच की जानी चाहिए थी, वैसी जाँच उनके द्वारा नहीं की गयी। श्री वर्मा द्वारा अपने अभ्यावेदन में पूर्व समर्पित स्पष्टीकरण के ही बिन्दुओं को पुनः उल्लेखित किया गया है और मानवीय पर्यवेक्षण में बरती गयी लापरवाही के बिन्दु पर कोई सफाई नहीं दी गयी है।

अतएव श्री शेखर चन्द्र वर्मा, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक 233/11 तत्कालीन संयुक्त सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (सम्प्रति सेवानिवृत) के अपील/पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
उमेश प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 519-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in